छ.ग उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4642/2004

अपीलार्थीः बैजनाथ मंडल, उम्र लगभग 63 वर्ष, पिता स्वर्गीय रामफल मंडल, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरसगांव, निवासी ग्राम फरसगांव, जिला बस्तर (छ.ग.) ।

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छ.ग राज्य द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय डी के एस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ राज्य, चंटीडीह, रायपुर (छ.ग.)
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग)
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य केन्द्र, फरसगांव, जिला बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः श्री विष्णु कोष्टा, अपीलार्थी के अधिवक्ता ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ती और श्री ए.एस कछवाहा, राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1,3 और 4 के लिए उप महाधिवक्ता ।
श्री एस.के बेरीवाल, भारत संघ के स्थायी अधिवक्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक 2।

रिट याचिका क्रमांक 58/2005

अपीलार्थीः राम कुमार नामदेव, पिता स्वर्गीय श्री सूर्यदीन नामदेव, उम्र लगभग 63 वर्ष, सेवानिवृत्त वेटनरी फील्ड अधिकारी निवासी रिंग रोड, नमनकला अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) ।

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ राज्य द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी के एस भवन रायपुर ।
2. निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, रायपुर
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ, रायपुर (छ.ग.)

उपस्थितः श्री वी. के पांडे अपीलार्थी के अधिवक्ता ।

श्री वी.वी.एस. मूर्ती और श्री ए.एस कछवाहा, उप महाधिवक्ता राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1,2 के लिए ।

श्री एस . के बेरीवाल, भारत संघ के स्थायी अधिवक्ता/ प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ।

रिट याचिका क्रमांक 413/2005

अपीलार्थीः 1. हरदेव पिता स्व. भटकु राम मौर्य उम्र

2. श्रीमती कमलाबाटी पिटाी स्व्. भटकु राम यादव उम्र दोनो निवासी ग्राम नदीसागर, पोस्ट बड़े चकवा, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर छ.ग. ।

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छ.ग राज्य द्वारा शिक्षा विभाग, डी के एस भवन, रायपुर।

2. महालेखाकार, छत्तीसगढ, रायपुर (छ.ग.)

3. खंड विकास अधिकारी आदिवासी विकास खंड धरभा जिला बस्तर (छ.ग.)

4. कलेक्टर बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः श्री भरत पाल डेम्ब्रा अपिलार्थी के अधिवक्ता।

श्री वी.एस मूर्ती और श्री ए. एस कछवाहा, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1,3 और 4 के लिए उप महाधिवक्ता ।

श्री एस. के बेरीवाल, भारत संघ/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 833/2005

अपीलार्थीः गेंद प्रसाद पांडे, उम्र लगभग 65 वर्ष, शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाध्यापक, निवासी ग्राम गंडई, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीः **1.** छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव शिक्षा विभाग, डी के एस भवन, रायपुर ।

2. महालेखाकार, छत्तीसगढ, रायपुर (छ.ग.)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

उपस्थितः डॉ. संजीत शर्मा अपिलार्थी के अधिवक्ता ।
श्री वी. वी. एस मूर्ति और श्री ए. एस कछवाहा उप महाधिवक्ता राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1,3 के अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के लिए सहायक सॉलिसिटर जनरल सुश्री शर्मिला सिंधाई

<u>रिट याचिका क्रमांक 843/2005</u>

अपीलार्थी बली राम पाण्डे पिता कलेश्वर प्रसाद पाण्डे उम्र 55 सेवानिवृत्त शिक्षक (प्रधान अध्यापक) निवासी ब्लाक रोड तखतपुर तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग.

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर छ.ग
2. सचिव शिक्षा विभाग डी के एस भवन रायपुर.
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ, रायपुर (छ.ग.)
4. सहायक संचालक, पेंशन अधिकारी (संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन) बिलासपुर छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः श्री आर. के. तिवारी अपिलार्थी के अधिवक्ता
श्री वी.वी.एस मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक
1 और 2 के लिए उप महाधिवक्ता।
श्री एस.के. बेरीवाल, भारत संध/ प्रत्यर्थी क्रमांक 3 और 4 के स्थायी अधिवक्ता

<u>रिट याचिका क्रमांक 1702/2005</u>

अपीलार्थीः राम प्रसाद उपाध्याय, उम्र लगभग 67 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री लालजी उपध्याय, सेवानिवृत्त शिक्षक, निवासी ग्राम हाफा तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)

<u>बनाम</u>

प्रत्यर्थीः **1.** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, डी. के. एस भवन रायपुर छ.ग् ।
2.महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर छ.ग.

3.प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालय, सक्ती, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग)

उपस्थितः अपिलार्थी के लिए कोई नहीं
श्री वी.वी. एस मूर्ती और श्री ए. एस. कछवाहा, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 3 के लिए उप महाधिवक्ता ।
श्री एस. के बेरीवाल, भारत संध/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के स्थायी अधिवक्ता

रिट याचिका क्रमांक 2247/2005

अपिलार्थीः पारस राम उइके, उम्र 62 वर्ष पिता स्व. अणत राम उइके, सेवानिवृत्त राजस्व निरिक्षक (ग्राम पलारी, तहसील बलौदा बजार जिला रायपुर छ.ग.), निवासी ग्राम अरडीया पोस्ट डोंगरिया, तहसील बेहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, डी. के. एस भवन रायपुर छ.ग् ।
2. महालेखाकार, द्वारा लेखा अधिकारी, कार्यालय लेखा अधिकारी (निधि10),रायपुर छ.ग.

उपस्थितः श्री वी.वी एस मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा, राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के लिए उप महाधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा सुश्री शर्मिला सिंधई, सहायक सॉलिसिटर जनरल ।

रिट याचिका क्रमांक 3456/2005

अपिलार्थीः विधा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त, ब्लॉक श्रम अन्वेषक उम्र लगभग 63 वर्ष पिटा स्वर्गीय श्री चंद्रबली मिश्रा, निवासी ग्राम बछुआर, पोस्ट नकहारा जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव पंचायत और सामाजिक उत्थान विभाग डी. के. एस. भवन, मंत्रालय रायपुर छत्तीसगढ़ ।
2. महालेखाकार रायपुर छत्तीसगढ़ ।
3. संचालक, आर्थिक एवं क्रमांकिकी विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर ।
4. जिला प्लानिंग और स्टॅटिस्टिक्स अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा ।

उपस्थितः याचिकार्ता के अधिवक्ता श्री राकेश झा की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल मिश्रा ।
श्री वी. वी. एस मूर्ति और श्री ए. एस कछवाहा उप महाधिवक्ता राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1,3 और 4 के लिए ।
प्रत्यर्थी सं 2 की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल सुश्री शर्मिला सिंधाई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 3553 /2005

अपीलार्थीः बलराम प्रसाद पांडे, पिता श्री चंदुलाल पांडे, उम्र 67 वर्ष, व्यवसाय सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी , निवासी सांवा डबरा ब्लॉक एवं तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी के एस भवन, राजपुर छ.ग.।
2. कलेक्टर बिलासपुर (छ.ग.) ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) ।
4. महालेखाकार छत्तीसगढ रायपुर छ.ग. ।
5. प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विघालय, तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग् ।

उपस्थितः अपिलार्थी के लिए कोई नहीं ,
राज्य / प्रतिचादी क्रमांक 1,2,3 और 5 के लिए उप महाधिवक्ता श्री वी. वी. एस. मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा।
प्रत्यर्थी क्रमांक 4 के लिए सहायक सॉलिसिटर जनरल सुश्री शर्मिला सिंघई ।

रिट याचिका क्रमांक 3662/2005

अपिलार्थीः रामधारी प्रसाद , पिता श्री महेश प्रसाद , वर्ष् 65 साल , सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, जओवीटी. प्रायमरी स्कूल बैधी ,ब्लॉक राजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) , वर्तमान निवासी ग्राम बूढा बगीचा, तहसील राजपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यार्थीः 1. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर ।

2. सहायक आयुक्त, आदिमजाति विकास, अंबिकापुर जिला, सरगुजा (छ.ग.) .
3. कलेक्टर , सरगुजा अंबिकापुर (छ.ग.) ।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी , राजपुर , जिला सरगुजा (छ.ग.) ।
5. महालेखाकार लेखा और हकदारी , दुतिया निधि 5, बस स्टैंड के पास, पंडरी, रायपुर (छ.ग.).
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार, लेखा और हकदारी, दुतिया निधि 5, नियर बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर (छ.ग.).

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः अपिलार्थी के लिए कोई नहीं .
श्री वी. वी. एस. मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 के लिए उप महाधिवक्ता । श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ् /प्रत्यर्थी नं. 5 और 6. के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट प्रत्यार्थी क्रमांक 4069/2005

अपीलार्थीः ताराचंद सोनी पिता स्वर्गीय घनश्याम प्रसाद सोनी, उम्र लगभग **62** वर्ष् **,** व्यवसाय पुर्व अधीक्षक भू- अभिलेख**,** जांजगीर चांपा**,** निवासी पुरानी सिंचाई कॉलोनी **,** जी **-2** जांजगीर जिला जांजगीर चांपा **(**छ.ग.**) .**

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा सचिव राजस्व विभाग , डी. के. एस. भवन , रायपुर (छ.ग.) ।

2. महालेखाकार पगारिया कोम्प्लेक्स , न्यू बस्ट स्टैंड के पास , पंडरी, रायपुर (छ.ग.)।
3. कलेक्टर, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) ।

उपस्थितः श्री राजेश पांडे अपिलार्थी के अधिवक्ता ।
श्री वी.वी. एस. मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा , राज्य /प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 3 के लिए उप महाधिवक्ता।
श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ् /प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 4193/2005

अपीलार्थी मनोहर लाल साहू पिता स्व. रामधन साहू , उम्र 62 वर्ष् सहायक ग्रेड (II), क्लर्क, पीडब्ल्यूडी (सेवानिवृत्त) जांजगीर डिविजन जांजगीर, निवासी बी.डी. महंत प्राइमरी स्कूल न्यू चंदानीअपरा के पास, जांजगीर चांपा जिला. जांजगीर चांपा (छ.ग.)

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रत्यार्थीः 1. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा सचिव लोक निर्माण विभाग, डी.के.एस.भवन, रायपुर ,जिला रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से ।
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी , द्वारा कार्यालय महालेखाकार, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से ।
3. लेखा अधिकारी, संयुक्त संचालक कार्यालय, कोष लेखा एवं पेंशन , बिलासपुर (छ.ग.) ।
4. जिला कोषाधिकारी, जांजगीर जिला जांजगीर चंपा (छ.ग.) ।
5. कार्यपालन अभियंता, पीडब्ल्यूडी चांपा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.). ।

उपस्थितः श्री सी.पी. लहरे अपिलार्थी के अधिवक्ता।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा , राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1,2,4 और 5 के लिए उप महाधिवक्ता । श्री एस.के. बेरीवाल, भारत संघ् /प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 3559/2005

अपीलार्थीः कु. मीनल सिंह चौहान, पिता श्री प्रभात सिंह चौहान, उम्र 23 साल , निवासी एम आई जी 58, सेक्टर, 2, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ.

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. भारत संघ, द्वारा महालेखाकार छत्तीसगढ, विधानसभा रोड रायपुर (छ.ग.)।
2. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी के एस भवन, रायपुर छत्तीसगढ.
3. प्रधानाध्यापक शासकीय गर्ल्स कॉलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ .

उपस्थितः श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा , राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 के लिए उप महाधिवक्ता ।
श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 4315/2005

अपीलार्थीः राजेंद्र नाथ तिवारी पिता स्वर्गीय श्री नंदलाल तिवारी, उम्र लगभग 63 साल , व्यवसाय सेवानिवृत्त ए. एस. आई, निवासी ओ. पी. पशु चिकित्सालय के सामने बौरीपारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा सचिव गृह विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर छत्तीसगढ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर (छ.ग.) ।
3. डी आई जी पुलिस, सरगुजा रेन्ज, सरगुजा (छ.ग.).
4. पुलिस अधीक्षक जिला जशपुर।
5. कार्यालय महालेखाकार, द्वारा लेखा अधिकारी, छ.ग. रायपुर ।

उपस्थितः अपिलार्थी के लिए कोई नहीं.
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 के लिए उप महाधिवक्ता।
श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ/प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 537/2006

अपीलार्थीः रामरक्षा मिश्रा, पिता स्वर्गीय श्री भूनेश्वर प्रसाद मिश्रा, उम्र लगभग 64 वर्ष, सेवानिवृत हेड मास्टर (शिक्षक) निवासी ब्राम्हणपारा, लोरमी तहसील लोरमी जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा सचिव शिक्षा विभाग, डीकेएस भवन , मंत्रालय,रायपुर (छ.ग.)।

2. महालेखाकार छत्तीसगढ (येलो बिल्डिंग, फाफाडीह), जिला रायपुर (छ.ग्.) ।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग्.) ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थितः अपिलार्थी के लिए कोई नहीं .

श्री वी.वी. एस. मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा , राज्य /प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 3 के लिए उप महाधिवक्ता ।

श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ/ प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 516/2006

अपीलार्थीः बलराज सिंह पिता श्री आकारु सिंह उम्र 63 साल , सेवानिवृत्त तहसीलदार, निवासी हेमू नगर, सिलिकेट फैक्ट्री के पास बिलासपुर (छ.ग्.) .

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा सचिव राजस्व विभाग, मंत्रालय , डी. के. एस. भवन , रायपुर (छ.ग्.)।

2. महालेखाकार छत्तीसगढ पंडरी, रायपुर (छ.ग.) ।

3. कलेक्टर, कोरबा जिला कोरबा (छत्तीसगढ).

4. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन , भोपाल (मध्य प्रदेश)।

उपस्थितः अपिलार्थी के लिए कोई नहीं .
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए.एस. कछवाहा , राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1,3 और 4 के लिए उप महाधिवक्ता ।
श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ/ प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 5785/2005

अपीलार्थीः शांति देवी श्रीवास्तव उम्र लगभग 55 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम किरारी, पोस्ट व तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छतीसगढ राज्य, द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, डी के एस भवन, रायपुर (छ.ग्.)।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ , रायपुर (छ.ग्.) ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बिलासपुर (छ.ग्.). ।
4. प्रधानाचार्य, शासकीय हाई स्कूल दर्रीघाट, जिला बिलासपुर (छ.ग्.)

उपस्थितः श्री मतिन सिद्दीकी, अपिलार्थी के अधिवक्ता ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए.एस. कछवाहा,राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1,3 और 4 के लिए उप अधिवक्ता ।
श्री एस.के. बेरीवाल, भारत संघ/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 4936/2005

अपीलार्थीः शिवलाल राम जयसवाल, उम्र लगभग 67 वर्ष्, पिता श्री जगन्नाथ प्रसाद जयसवाल, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय तपसरा, विकासखंड् भैयाथान, तहसील सूरजपूर, जिला सरगुजा गृह ग्राम रायी, पोस्ट बतरा, विकासखंड भैयाथान, सूरजपुर, जिला, सरगुजा (छ.ग.).

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ राज्य रायपुर ।
3. सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला सरगुजा (छ.ग्.)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा जिला सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) ।
5. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विकास खंड भैयाथान, जिला सरगुजा (छ.ग्.).
6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश् शासन , ग्वालियर (म.प्र.)

उपस्थितः श्री ए.एन.भक्ता, अपिलार्थी के अधिवक्ता ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए.एस. कछवाहा, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1,3,4 और 5 के लिए उप महाधिवक्ता ।
श्री एस.के. बेरीवाल, भारत संघ/ प्रत्यर्थी के लिए स्थायी अधिवक्ता । नं. 2 और 6.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 4935/2005

अपीलार्थीः रामेश्वरम प्रसाद उन्डिल, उम्र लगभग 67 वर्ष् , पिता बागर सईद उन्डिल, सेवानिवृत सहायक शिक्षक , शासकीय प्राथमिक विद्यालय, आदिम जाति विभाग, दोधापारा, विकास खंड भैयाथान, तहसील सुरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.). गृह निवास ग्राम केशकेल पोस्ट करवान विकास खण्ड सुरजपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा सचिव , आदिम जाति कल्याण विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग्.)।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ राज्य, रायपुर ।
3. सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग ,जिला सरगुजा (छ.ग्.) ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा जिला सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग्.) ।
5. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विकासखंड भैयाथान , जिला सरगुजा (छ.ग्.). ।

6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश शासन, ग्वालियर (म.प्र.) ।

उपस्थितः श्री ए.एन. भक्त, अपिलार्थी के अधिवक्ता ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए.एस. कछवाहा, उप अधिवक्ता राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1,3,4 और 5 के लिए जनरल ।
श्री एस.के.बेरीवाल, भारत संघ/ प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 6 के लिए स्थायी अधिवक्ता।

रिट याचिका क्रमांक 4361/2005

अपीलार्थीः श्याम लाल दीक्षित पिता स्व. श्री लालजी दीक्षित उम्र 61 वर्ष् निवासी स्टेशन रोड, चक्रभाट्टा कैंप, जिला बिलासपुर छ.ग. ।

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छतीसगढ राज्य, द्वारा सचिव स्वास्थ्य विभाग डी के एस भवन , रायपुर (छ.ग्.)।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी सह स्वास्थ्य अधिकारी, सीपथ रोड, बिलासपुर छ.ग्. .राज्य.
3. महालेखाकार छत्तीसगढ राज्य, रायपुर ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः श्री के. आर. नायर, अपिलार्थी के अधिवक्ता ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा, राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1और 2 के लिए उप महाधिवक्ता ।
श्री बेरीवाल, भारत संघ/प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 2038/2004

अपीलार्थीः एम.के. जैन पिता स्व.वीरेंन्द्र कुमार जैन, आयु लगभग 62 वर्ष् , सेवानिर्वित्त जिला संयोजक, आदिवासी विकास विभाग, निवासी मन्नू चौक, टिकारा पारा, बिलासपुर (छत्तीसगढ)

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छतीसगढ राज्य, सचिव के माध्यम से आदिवासी विकास विभाग, डी के एस भवन, रायपुर (छ.ग्.) ।
2. महालेखाकार ॥ छत्तीसगढ राज्य, रायपुर (छ.ग्.) ।

3. जिला संयोजक, आदिवासी विकास विभाग जांजगीर ,चांपा जिला जांजगीर, छत्तीसगढ.

उपस्थितः श्री नीलकंठ मालवीय, अपिलार्थी कि ओर से अधिवक्ता ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए.एस. कछवाहा, राज्य /प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 3 के लिए उप महाधिवक्ता ।
श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ / प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 4146/2004

अपीलार्थीः एस. के सिकदर, पिता बृज बिहारी सिकदर, उम्र 65 वर्ष सेवानिर्वित्त क्लर्क श्रेणी , राजस्व विभाग, तहसील धर्मजयगढ, जिला रायगढ (छ.ग.).

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छत्तीसढ राज्य, द्वारा सचिव राजस्व विभाग , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग्.)।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ सिंह भवन, रायपुर (छ.ग्.) ।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश् राज्य, ग्वालियर (म.प्र.) ।
4. कलेक्टर, रायगढ (छ.ग्.) ।
5. तहसीलदार, तहसील धर्मजयगढ, डिसट, रायगढ, छत्तीसगढ.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थितः श्री ए.एन. भक्त, अपिलार्थी के अधिवक्ता ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए.एस. कछवाहा , राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1,4 और 5 के लिए महाधिवक्ता ।
श्री एस.के. बेरीवाल, भारत संघ् / प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता । नं. 2 और 3.

रिट याचिका क्रमांक 3082/2005

अपीलार्थीः वंशरुप सिंह, पिता स्वर्गीय देवमूनराम, उम्र लगभग 64 वर्ष् , निवासी ग्राम पोस्ट लामगांव, जिला सरगुजा (छ.ग्.) ।

बनाम

प्रत्यर्थीः 1. छतीसगढ राज्य, सचिव शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन , रायपुर (छ.ग्.) के माध्यम से ।

2. वरिष्ट लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ)।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग्.) ।

उपस्थितः अपिलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के. पाण्डेय ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए.एस. कछवाहा, राज्य/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1 औ्र 3 के लिए उप महाधिवक्ता ।
श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ् /प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के स्थायी अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 4536/2004

अपीलार्थी: दुर्गा प्रसाद पांडे ,पिता स्वर्गीय श्री एस.एस. पांडे, आयु लगभग 62 वर्ष् सेवानिवृत व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनेन्द्रगढ, जिला कोरिया, छतीसगढ ।

बनाम

प्रत्यर्थीः **1.** छतीसगढ राज्य**,** द्वारा सचिव उच्च शिक्षा विभाग**,** डी के एस भवन**,** मंत्रालय**,** रायपुर **(**छ.ग्.**)**।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ) ।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी-05, महालेखाकार कार्यालय, छत्तीसगढ राज्य, रायपुर(छ.ग्.) ।
4. प्राचाेय, गवर्नमेंट हायर सेंकेडरी स्कूल, मनेंद्रगढ, जिला कोरिया (छ.ग.).

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका)

(माननीय न्यायमूर्ती श्री सतीश के. अग्निहोत्री)

उपस्थितः श्री समीर बेहार, अपिलार्थी के अधिवक्ता ।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति और श्री ए. एस. कछवाहा, उप अधिवक्ता राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 4 के लिए।

श्री एस.के. बेरीवाल, भारत संघ/ प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 के लिए स्थायी अधिवक्ता ।

मौखिक आदेश

(31 जनवरी,2008 को पारित)

इन मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, जी पी एफ आदि का भुगतान न करना, देर से भुगतान होना, सेवानिवृति बकाया राशि का कम भुगतान करना, उस पर ब्याज देना आदि विषयों से संबंधित मामले सम्मिलित हैं ।

(1) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 19.06.2006 को रिट याचिका क्रमांक 1961/2006 (श्रीमति केजा बाई चंद्राकार बनाम छतीसगढ राज्य एवं अन्य) में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"---------- इसके परिणामस्वरूप, महालेखाकार कार्यालय को गलत जानकारी मिल रही है और वह किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकार पत्र नहीं दे पा रहा है, इसलिए, निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई हैः

(1) विशेष् सचिव (वित्त), (अध्यक्ष),
(2) विधि विभाग के अपर सचिव स्तर का कोई भी अधिकारी, (सदस्य),
(3) निदेशक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन, (सदस्य),
(4) उप महालेखाकार (निधि), (सदस्य),
(5)संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ राज्य), (सदस्य सह सचिव)"

(2) प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार, सेवानिवृत कर्मचारियाँ की सेवानिवृत देय राशि के संबंध में शिकायतों को देखने के लिए उपरोक्त अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है ।

(3) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और साथ ही महालेखाकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत किया हैं कि उक्त समिति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्तित्व में है और याचिकओं के इस समूह में अपिलार्थीओं द्वारा उठाए गए सभी विवादों का निर्णय उक्त उच्च शक्ति समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया जा सकता है।

(4) याचिकाओं के इस समूह में, सेवानिवृत्त बकाया पुर्वोक्त के संबंध में तथ्यों के आक्षेपित प्रश्न शामिल हैं, जिनका निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तथ्यों के आक्षेपित प्रश्नो को सेवानिवृत्त कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों के परामर्श से उच्च शक्ति समिति पुर्वोक्त द्वारा हल किया जा सकता है। इस प्रकार, मेरी सुविचारित राय है कि उपरोक्त गठित समिति को विवादों को देखने और विधि के अनूसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश देना उचित और व्यवहारिक होगा ।

(5) तदानुसार, महाधिवक्ता के कार्यालय को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने कि तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर सभी मामलों को समिति को भेजने का निर्देश दिया जाता है । इसके बाद, समिति 15 दिनों की अवधि के भीतर पीडित सेवानिवृत्त कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करेगी । समीति संबंधित कर्मचारियों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार विचार करेगी और आदेश पारित करेगी। यदि आवश्यक हो तो संबंधित कर्मचारी और संबंधित अधिकारी अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं। संबंधित कर्मचारी को सेवानिवृत्त बकाया देय राशि, (यदि कोई हो) के भुगतान सहित संपूर्ण प्रकृिया इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ।

(6) पूर्वोक्त के अनुसार, सभी याचिकाएं निराकृत की जा रहा है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है ।

सही/-
सतीश के अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Pemin sahu

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur